

सविलि सेवाओं में पारश्व प्रवेश (लेटरल एंटरी)

प्रलिमिस के लिये:

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), अन्य पछिड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), नीति आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC)।

मेन्स के लिये:

नौकरशाही में लेटरल एंटरी का मुददा, नौकरशाही में उच्च पदों पर आरक्षण का मुददा, इसके नहितिरथ और आगे की राह।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने लेटरल एंटरी/पारश्व प्रवेश योजना के माध्यम से सरकारी वभिगों में वशिष्जज्ञ के रूप में 45 संयुक्त सचिवों, नादिशकों और उप सचिवों की नियुक्ति के लिये अधिसूचना जारी की है।

- इस नियन्य की विविधी दलों द्वारा कड़ी आलोचना की गई, इस संबंध में इन्होने तरक्क दिया कि इससे अन्य पछिड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के आरक्षण संबंधी अधिकार प्रभावति होंगे।

लेटरल एंटरी स्कीम/पारश्व प्रवेश योजना क्या है?

परचिय:

- लेटरल एंटरी से तात्पर्य सरकार के बाहर से व्यक्तियों को सीधे मध्य-स्तर और वरषित स्तर के पदों पर नियुक्त करने की प्रक्रिया से है।
- यह डोमेन-वशिष्जिट वशिष्जज्ञता और नए दृष्टिकोण लाकर शासन में सुधार लाने का प्रयास करता है।
- इन 'लेटरल एंटरीज़' में व्यक्तियों को 3 वर्ष के अनुबंध पर नियुक्त किया जाता है जिसे अधिकितम 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

उत्पत्ति और कार्यान्वयन:

- लेटरल एंटरी की अवधारणा पहली बार वर्ष 2004-09 के दौरान पेश की गई थी औत्वर्ष 2005 में स्थापित द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) द्वारा इसका दृढ़ता से समर्थन किया गया था।
- बाद में, नए कौशल और दृष्टिकोण लाने के लिये इसे वर्ष 2017 में नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
- वर्ष 2017 में नीति आयोग ने अपने तीन वर्षीय कार्य एजेंडा तथा शासन पर सचिवों के क्षेत्रीय समूह (SGoS) द्वारा मध्यम एवं वरषित प्रबंधन स्तर पर कारमकियों की भरती के संबंध में केंद्र सरकार को सफिराशि की थी।

पात्रता:

- नजी क्षेत्र, राज्य सरकारों, स्वायत्त निकायों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों से संबंधित क्षेत्रों मेंविय वशिष्जज्ञता रखने वाले ऐसे व्यक्तियों जिनका टरेक रकिंड अच्छा रहा है, इन पदों के लिये आवेदन करने के पात्र हैं।
- चयन मानदंड सामान्यतः पेशेवर उपलब्धिओं और विषय वस्तु वशिष्जज्ञता पर ज़ोर देते हैं।

लेटरल एंटरी में आरक्षण:

- "13-पॉइंट रोस्टर" नीति के कारण लेटरल एंटरी को आरक्षण परणाली से बाहर रखा गया है।
 - "13-पॉइंट रोस्टर" नीति, कसी उम्मीदवार के समूह के कोटा प्रतिशत (SC, ST, OBC और EWS) की गणना सौ के अंश के रूप में करके नौकरी के रकित पदों की सूची में उसके स्थान का निर्धारण करने हेतु एक विधिस्थापित करती है।
 - चूँकि प्रत्येक लेटरल एंटरी की स्थितिको "एकल पद" माना जाता है, इसलिये इसमें आरक्षण परणाली लागू नहीं होता है, जिसे आरक्षण दशानिर्देशों का पालन किये बना ये नियुक्तियों की जा सकती है।
 - भरती के मौजूदा दौर में प्रत्येक वभिग के लिये अलग-अलग 45 रकित पदों का विज्ञापन किया गया है। यदि इसे एकल समूह के रूप में माना जाए तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पछिड़ा वर्ग और आरथक रूप से कमज़ोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिये वशिष्जिट आवंटन के साथ आरक्षण लागू होगा।

- हालाँकि, रकितयों को अलग-अलग पदों के रूप में माना जाता है, इसलिये इसमें आरक्षण प्रक्रयाओं का पालन नहीं होता है, जिसिसे प्रशासी रूप से आरक्षणीय इन पदों से बाहर हो जाती है।
- **अब तक हुई नयिक्तयों की संख्या:**
 - वर्ष 2018 में लेटरल एंटरी प्रक्रया शुरू होने के बाद से कुल 63 व्यक्तयों को वभिन्न मंत्रालयों/वभागों में नयिक्त किया गया है।
 - अगस्त 2023 तक, इनमें से 57 पारश्व प्रवेशक वर्तमान में केंद्र सरकार के तहत वभिन्न पदों पर कार्यरत हैं।

लेटरल एंटरी स्कीम पर ARC की सफिरशि

- **प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) (1966):** इसकी स्थापना मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में की गई थी, जिसिकाउद्देश्य सविलि सेवाओं के भीतर प्रशिक्षण और कारमकि प्रबंधन को पेशेवर बनाना तथा सुधारना था।
 - यद्यपि इसमें वशिष्ठ रूप से लेटरल एंटरी का समर्थन नहीं किया गया, फरि भी इसने नौकरशाही में वशिष्ठ कौशल की आवश्यकता को संबोधित करने हेतु आधार तैयार किया।
- **द्वातीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) (2005):** इसने भारतीय प्रशासनिक प्रणाली की प्रभावशीलता, पारदर्शता और नागरकि सुलभता में सुधार के लिये सफिरशि की।
 - अपनी 10वीं रपोर्ट में, ARC ने उच्च सरकारी पदों पर लेटरल एंटरी की आवश्यकता पर ज़ोर दिया ताकि वशिष्ठ वशिष्ठ जूता और योग्यताएँ प्राप्त की जा सकें, जो पारंपरकि सविलि सेवा में हमेशा उपलब्ध नहीं होती।
 - इसने नजीि क्षेत्र, शक्षिवादिं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों से पेशेवरों की भर्ती का प्रस्ताव रखा, जिससे अल्पकालिक या संविधानपक भूमिकाओं के लिये टैरेंट पूल का निर्माण हो सके।
 - ARC ने पारदर्शी, योग्यता-आधारति चयन प्रक्रया की भी सफिरशि की और सविलि सेवा की अखंडता को बनाए रखते हुए पारश्व प्रवेशकों को एकीकृत करने पर ज़ोर दिया।

आयु-आधारति नयिक्ति से लेकर नशिचति कार्यकाल प्रणाली तक नौकरशाही में सामाजिक न्याय सुनशिचति करना

- वर्तमान में, शीर्ष नौकरशाही पदों (संयुक्त सचिवि, निदिशक और उप सचिवि आदि) में अनुसूचति जाति/अनुसूचति जनजाति के अधिकारी केवल 4% और 4.9% हैं।
- आयु-आधारति सेवानवित्ति के स्थान पर एक नशिचति कार्यकाल प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे सभी अधिकारयों को वरषित पदों तक पहुँचने के समान अवसर मिल सकें।
 - नशिचति कार्यकाल प्रणाली का अर्थ है सभी सविलि सेवकों (अनारक्षति, अनुसूचति जाति, अनुसूचति जनजाति, अन्य पछिड़ा वर्ग) के लिये 35 वर्ष की नशिचति कार्यकाल प्रणाली होना, चाहे प्रवेश की आयु कुछ भी हो, ताकि समान अवसर सुनशिचति हो और आयु के बजाय योग्यता पर ध्यान दिया जा सकें।
 - सविलि सेवा परीक्षा के लिये मौजूदा आयु-आधारति पात्रता मानदंड अनुसूचति जनजाति और दवियांग आवेदकों के लिये प्रतिकूल हैं, जो देरी से प्रवेश तथा अनविराय सेवानवित्ति के कारण शीर्ष रैंक प्राप्त करने में असमर्थ हैं।
- **पक्ष में तरक़:**
 - प्रतनिधित्व में वृद्धि: नशिचति कार्यकाल से SC/ST और OBC अधिकारयों को वरषित पदों तक पहुँचने में सहायता मिल सकती है, जिससे उनका प्रतनिधित्व बढ़ सकता है।
 - योग्यता पर ध्यान: प्रवेश के समय आयु की तुलना में योग्यता को प्राथमिकता देना सुनशिचति करता है किंकिशल वयक्ति आगे बढ़ सकें।
 - सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना: अधिक समावेशी नौकरशाही के लक्ष्यों के साथ संरखति करता है।
 - वयवहार्यता: बढ़ती जीवन प्रत्याशा और नियमिति फटिनेस जाँच के साथ वसितारति कार्य वर्ष वयवहार्य हैं।
- **विपक्ष में तरक़:**
 - आयु संबंधी चतिएँ: कार्यकाल बढ़ाने से सत्तर वर्ष की आयु तक सेवारत अधिकारयों को संभावित रूप से 67 वर्ष की आयु में सेवानवित्ति सुनशिचति करने के लिये आयु सीमा कम करने की आवश्यकता हो सकती है।
 - परविरतन का प्रतरिधि: पारंपरकि वरषित्ता-आधारति प्रणाली बहुत मज़बूत है और परविरतनों को कड़े वरिधि का सामना करना पड़ सकता है।
 - राजनीतिक मुद्दे: नशिचति कार्यकाल को योग्यता-आधारति पदोन्नति को कम करने के रूप में देखा जा सकता है और इससे आयु, अनुभव एवं प्रदर्शन पर बहस छँड़ि सकती है।

सविलि सेवाओं में लेटरल एंटरी स्कीम के पक्ष में तरक़ क्या हैं?

- **वशिष्ठ कौशल और वशिष्ठजूता:** लेटरल एंटरी सरकार को प्रौद्योगिकी, प्रबंधन और वित्त जैसे क्षेत्रों में वशिष्ठजूता रखने वाले वशिष्ठजूतों की भर्ती करने की अनुमति देता है, जिससे इन क्षेत्रों, वशिष्ठजूता संबंधी अभावों को संबोधित किया जा सकता है, जो वशिष्ठजूता सामान्य रूप से भर्ती किये जाने वाले सविलि सेवकों के पास नहीं होती है, यह शासन की जटिलताओं को अनुकूलति करने हेतु एक महत्वपूर्ण कदम है।
- **नवाचार और सुधार:** पारश्व भर्तीयों के माध्यम से नजीि क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों या अन्य संगठनों से मूल्यवान अनुभव को समाविष्ट किया जा सकता है, जो प्रशासनिक प्रक्रयाओं और शासन व्यवस्था को सुधारने तथा उन्हें सुदृढ़ करने में सहायक हो सकता है।

- अंतराल को भरना: कार्यक्रमिक और प्रशासनिक विभाग के आँकड़ों के अनुसार लगभग 1500 IAS अधिकारियों की कमी है। लेटरल एंटरी इस कमी को पूरा करने में सहायता कर सकती है।
- कार्य संस्कृति में बदलाव लाना: यह सरकारी क्षेत्र की कार्यस्थल संस्कृति, जिसकी नियम-पुस्तकों नौकरशाही, यथास्थिति और लालफीताशाही के लिये नियमों की जाती है, में बदलाव लाने में सहायता करेगा।
- सहभागी शासन: आज की शासन व्यवस्था एक बहु-अधिकारिता, अधिक सहभागिता वाले उद्यम के रूप में विकसित हो रही है जो लेटरल एंटरी नजीबी क्षेत्र एवं गैर-लाभकारी संस्थाओं जैसे हितधारकों को शासन प्रक्रया में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है।

सविलि सेवाओं में लेटरल एंटरी स्कीम की आलोचनाएँ क्या हैं?

- अल्पावधि: केंद्र सरकार ने संयुक्त सचिवों के लिये कार्यकाल 3 वर्ष नियंत्रित किया है, जो नए लोगों के लिये जटिल शासन प्रणालियों को पूरी तरह से अपनाने और सारथक योगदान देने हेतु अप्रयाप्त है।
- निषिक्षता और तटस्थिता बनाए रखना: विभिन्न पृष्ठभूमि से व्यक्तियों को लाना संभावित होतों के टकराव और निषिक्षता संबंधी चित्तियों के कारण वस्तुनिष्ठता एवं तटस्थिता को चुनौती दे सकता है, विशेषकर अगर भर्ती किये गए लोगों का नजीबी कंपनियों या हति समूहों से पहले से संबंध रहा हो।
- स्थायी अधिकारियों के मनोबल पर प्रभाव: पारश्व प्रवेशकों की बढ़ती संख्या उनके और स्थायी अधिकारियों के बीच विभाजन उत्पन्न कर सकती है, जो संभावित रूप से पेशेवर नौकरशाहों के मनोबल को प्रभावित करती है।
- योग्यता-आधारति नियुक्ति में संभावित कमी: सविलि सेवाओं की योग्यता-आधारति भर्ती प्रक्रया लेटरल एंटरी से कमज़ोर हो सकती है। यदि पारदर्शी तरीके से नहीं किया जाता है तो यह चयन प्रक्रया में पक्षपात या भाई-भतीजावाद वी धारणाओं को जन्म दे सकता है।
- बाह्य संदर्भों: परंपरागत नौकरशाही में पदानुकरम और व्यवधान की चित्ति के कारण पारश्व प्रवेशकों का वरिष्ठ हो सकता है, उन्हें बाहरी व्यक्तियों के रूप में देखा जाता है और उनके प्रवेश के प्रतिविधि व्यक्त किया जा सकता है।
- वरिष्ठ पदों के लिये अनुभव की आवश्यकता: स्थायी प्रणाली में, IAS अधिकारियों को 17 वर्ष की सेवा के बाद संयुक्त सचिवि सत्र पर पदोनन्त किया जाता है, सामान्यतः लगभग 45 वर्ष की आयु में तथा वे दस वर्षों तक उस सत्र पर बने रहते हैं।
 - यदि पारश्व प्रवेशकों पर भी समान अनुभव प्रतिविधि लगाए गए, तो सर्वश्रेष्ठ आवेदक प्रवेश से हतोत्साहित हो सकते हैं, क्योंकि वे प्रायः उस आयु तक नजीबी क्षेत्र में अपने कर्तव्यों के शाखियों पर पहुँच जाते हैं।

आगे की राह

- पारदर्शता सुनिश्चिति करना: पारश्व प्रविष्टियों के लिये पारदर्शी, योग्यता-आधारति चयन प्रक्रया बनाए रखना जो प्रासंगिक विशेषज्ञता, अनुभव और कौशल पर केंद्रित हो तथा पक्षपात या पूरवाग्रह की धारणा से बचना।
 - ब्रॉन में UK सविलि सर्वसि फास्ट स्ट्रीम कार्यक्रम कई स्तरों पर सविलि सेवा में सीधे अभियर्थियों की भर्ती करता है तथा विशेष कौशल और विशेषज्ञता वाले अभ्यर्थी पर ध्यान केंद्रित करता है।
- पारश्व प्रवेशकों का प्रशासनिक विकास: नजीबी क्षेत्र से सविलि सेवाओं में प्रवेशकों के लिये एक गहन प्रशासनिक विकास कार्यक्रम तैयार किया जाने की आवश्यकता है, जिससे उन्हें सरकारी कार्यों की जटिल प्रक्रृति को समझने में मदद मिल सके।
- सपष्ट अपेक्षाएँ और भूमिका की परिभाषा: भूमिकाओं, ज्ञानिमेदारियों तथा अपेक्षाओं को सपष्ट रूप से परभिष्टि करना एवं योगदान को संगठनात्मक लक्षणों के साथ संरेखित करने के लिये विशेषज्ञ प्रदर्शन संकेतक व उद्देश्य स्थापित करना।
- आयु संबंधी सीमाओं को अनुकूलति करने की आवश्यकता: शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिये संयुक्त सचिवि पदों के लिये आयु संबंधी आवश्यकताओं में ढील दी जानी चाहिये ताकि 35 वर्ष तक की आयु वाले उम्मीदवारों को भी इसमें शामिल किया जा सके।
 - अतीत में मॉटेक सहि अहलवालयों और बमिल जालान जैसे अर्थशास्त्री कम उम्र में ही वरिष्ठ पदों पर पहुँच गए थे।

निषिक्षता

किसी भी क्षेत्र में प्रतियोगिता की तरह पारश्व प्रवेश भी लाभकारी हो सकता है, लेकिन इसके लिये प्रवेश मानदंड, नौकरी की भूमिका कर्मयों की संख्या और प्रशासनिक विकास पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह सकारात्मक बदलाव लाए। इसके अतिरिक्त व्यापक प्रशासनिक सुधारों हेतु पारंपरिक वरिष्ठता-आधारति प्रणाली में सुधार आवश्यक हैं।

दृष्टि भेनेस प्रश्न:

सविलि सेवाओं के संबंध में सरकार की लेटरल एंटरी योजना क्या है? इसके गुण-दोष और निहितार्थों की चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विभिन्न वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न: “आरथकि प्रदर्शन के लिये संस्थागत गुणवत्ता एक निरिणायक चालक है”। इस संदर्भ में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिये सविलि सेवा में सुधारों का सुझाव दीजिये। (2020)

